Form-A

न्यायालयः

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, अररिया
उपस्थित–संजीत कुमार सिंह
निर्णय की तिथि– 02.07.2026
ST. No. 167/2025
C.I.S. No. 167/2025
सरकार बनाम फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान एवं अन्य

सूचक	रजाबुल, पिता–स्व0 हमीद, साकिन–मानिकपुर वार्ड नं0 07, थाना–बैरगाछी जिला–अररिया।
अभियोजन की ओर से	मो0 अब्दुल मन्नान, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1–फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान, पिता–मसुद उर्फ मसुद आलम, 2– मसुद उर्फ मसुद आलम, पिता– मोहिउद्दीन, 3– नुरेशा खातुन उर्फ नुरशा, पति– मसुद उर्फ मसुद आलम, सभी साकिन–रघुनाथपुर वार्ड नं0 13, थाना–आर0एस0, जिला–अररिया।
अभियुक्त की ओर से	मो0 यासिन, विद्वान अधिवक्ता

Form-B

घटना की तिथि	14.09.2024
प्रथम सूचना प्रतिवेदन की तिथि	14.09.2024
संज्ञान लेने की तिथि	21.02.2025
आरोप के गठन की तिथि	25.03.2025 एवं 11.08.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	19.04.2025
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	17.06.2026
निर्णय की तिथि	02.07.2026
दंडादेश का आदेश पारित करने की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं।

Form-C

अभियुक्तगण का विवरण							
अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धाराएँ	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दंडादेष	विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान	19.11.2024	03.11.2025	धारा–80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0	दोषमुक्ति	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	मसुद उर्फ मसुद आलम	आत्मसमर्पण 06.05.2025	06.05.2026	,,	दोषमुक्ति	,,	,,
3.	नुरेशा खातुन उर्फ नुरशा	आत्मसमर्पण 06.05.2025	06.05.2026	,,	दोषमुक्ति	,,	,,

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अभियोजन साक्षी संख्या–1(PW-1)	बीबी रौशनी	साक्षी/मृतिका की माँ
अभियोजन साक्षी संख्या–2(PW-2)	बीबी रजिला	साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–3(PW-3)	शमा प्रवीण	साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–4(PW-4)	मो0 रजाबुल	सूचक/मृतिका के पिता
अभियोजन साक्षी संख्या–5(PW-5)	दाउद	साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–6(PW-6)	बिनोद कुमार सिंह	अनुसंधानकर्ता
अभियोजन साक्षी संख्या–7(PW-7)	डॉ0 अली हसन	मेडिकल ऑफिसर
अभियोजन साक्षी संख्या–8(PW-8)	डॉ0 मिथिलेश कुमार	मेडिकल ऑफिसर

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श संख्या– P-1/PW-6	आरोप–पत्र
2	प्रदर्श संख्या– P-2/PW-6	पूरक आरोप–पत्र
3	प्रदर्श संख्या– P-3/PW-6	लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन
4	प्रदर्श संख्या– P-4/PW-6	औपचारिक प्राथमिकी
5	प्रदर्श संख्या– P-5/PW-6	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
6	प्रदर्श संख्या– P-6/PW-7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
7	प्रदर्श संख्या– P-7/PW-7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

न्यायालय प्रदर्श (Court Exhibit)

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

वस्तु प्रदर्श (Material Exhibit)

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

निर्णय

1. अभियुक्तगण 1–फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान, 2–मसुद उर्फ मसुद आलम एवं 3–नुरेशा खातुन उर्फ नुरशा अपने उपर लगे आरोप अंतर्गत धारा– 80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0 के तहत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी सूचक के लिखित आवेदन पर आर0एस0 थानाकांड संख्या–130/24 दिनांक 14.09.2024 अंतर्गत धारा– 80/3(5) बी0एन0एस0 के तहत प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण 1–फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान, 2–मसुद उर्फ मसुद आलम एवं 3–नुरेशा खातुन के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधानक के द्वारा अभियुक्तगण 1–फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए दिनांक–31.01.2025 एवं 2–मसुद उर्फ मसुद आलम एवं 3–नुरेशा खातुन के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए दिनांक 10.07.2025 को धारा– 80/3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया। मामले में दिनांक– 21.02.2025 को अंतर्गत धारा– 80 r/w 3(5) बी0एन0एस0 अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया। दिनांक–25.03.2025 एवं 11.08.2025 को अंतर्गत धारा– 80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0 के तहत आरोप का गठन किया गया, जिससे अभियुक्तगण इंकार किया तथा विचारण का दावा किया। अभिलेख दौरा सुपूर्दगी उपरांत विभिन्न न्यायालय से स्थानांतरण के पश्चात दिनांक 16.06.2026 को इस न्यायालय को विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

3. संक्षेप में अभियोजन की कहानी है कि, सूचक रजाबुल की पुत्री नुसरत की शादी डेढ़ साल पहले फैयान उर्फ फैजान से हुई थी। सूचक के द्वारा शादी में उपहार स्वरूप एक लाख रूपया एवं घरेलू सामान दिया गया था। शादी के एक–दो महीने के बाद से सूचक का दामाद फैयान उर्फ फैजान, समधी एवं समधीनी फ्रिज एवं पैसा की मांग करता था। जब सूचक की पुत्री बोली कि मेरे माता–पिता बहुत गरीब है, अब पिताजी पैसा नहीं दे पायेंगे। इस बात को लेकर सूचक की पुत्री के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट भी करते थे। दिनांक 14.09.2024 समय करीब चार–पांच बजे शाम को सूचक को फोन द्वारा पता चला कि इसकी पुत्री को फिर से ससुराल वालों के द्वारा मारपीट किया गया, जिससे सूचक की पुत्री तंग आकर फांसी लगा ली और मर गयी।

4. उपरोक्त अभियुक्तगण के उपर लगाये गये आरोप के सारांश को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण अपने उपर लगाये गये आरोप का खंडन करते हुए विचारण का दावा किये। दिनांक–02.06.2026 को अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तगण का बयान दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तगण अपने को निर्दोष बताये।

5. प्रस्तुत मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या अभियोजन विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण के उपर लगे अभियोग अंतर्गत धारा– 80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0 को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

6. अभियोजन अभियुक्तगण के उपर लगे आरोप अंतर्गत धारा– 80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु कुल आठ(08) मौखिक साक्षी को प्रस्तुत किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 बीबी रोशनी है, जो सूचक की पत्नी एवं मृतिका की माँ है ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि उसकी पुत्री का नाम नुसरत था। उसकी शादी धामा गांव के फेजान के साथ की थी। घटना से करीब साढ़े आठ साल पहले शादी करवाई थी। शादी के बाद उसकी बेटी अपने ससुराल में रह रही थी और उसे खबर मिली कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है और सूचना पाकर हमलोग बेटी के ससुराल गए तथा बेटी की लाश को देखें। पैरा 2 में कही है कि उसकी बेटी कैसे मरी यह पता नहीं चला, पुलिस आई। मेरे पति रजाबुल यह केस किए है। पुलिस बयान ली थी और पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाई थी। पैरा–3 में अभियुक्तगण को पहचानने की बात कही है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में ठीक से रहती थी। बेटी के ससुराल वाले कभी दान दहेज की मांग नहीं किये थे, उसकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे वह परेशान रहती थी एवं उसी टेंशन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 बीबी रजिला है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि नूसरत की शादी फैयाज के साथ हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी। घटना के समय वह अपने घर में थी और उसे पता चला कि नुसरत फांसी लगाकर मर गई। पैरा 2 में पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया था। पैरा–3 में अभियुक्तगण को पहचानने की बात कही है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि नुसरत अपने ससुराल में ठीक से रहती थी, उसके पति,

सास व ससुर उसे ठीक से रखते थे। नुसरत को संतान नही हो रहा था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी। ससुराल वाले इलाज भी करवाए। पैरा–5 में साक्षी को जानकारी मिली कि नुसरत फांसी लगाकर मर गई। नुसरत के ससुराल वाले कभी दान–दहेज की मांग नहीं किए और न ही प्रताड़ित किए।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 शमा प्रवीण है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि वह नूसरत को जानती है, उसकी शादी फैयाज के साथ हुई थी। नुसरत की शादी को आठ साल हुए और वह शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी। नुसरत के साथ घटना हुए करीब एक साल हो गए है। घटना के समय वह अपने घर में थी और पता चला कि नुसरत फांसी लगाकर मर गई। पैरा–2 घटना को लेकर केस हुआ था। पुलिस पूछताछ की थी। अभियुक्तगण को पहचानती है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कही है कि नुसरत अपने ससुराल में ठीक से रहती थी। उसके पति, सास व ससुर उसे ठीक से रखते थे। नुसरत को संतान नहीं हो रहा था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी, ससुराल वाले इलाज भी करवाए। पैरा–5 साक्षी को जानकारी मिली कि नुसरत फांसी लगाकर मर गई। नुसरत के ससुराल वाले कभी दान–दहेज की मांग नहीं किए और न ही प्रताड़ित किए।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 मो0 रजाबुल है, जो इस वाद के सूचक एवं मृतिका के पिता है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसकी पुत्री की शादी फैयान के साथ रघुनाथपुर गॉव में हुई थी और उसकी बेटी अपने ससुराल में रह रही थी। उसकी बेटी के साथ जो घटना हुई वह करीब एक साल पहले हुई थी। घटना के समय सूचक अपने घर पर था। उसे सूचना मिली कि 4–5 बजे शाम में उसकी बेटी मर गई। खबर पाके बेटी के ससुराल गये और पता किये बेटी कैसी मरी, तो पता चला की अपने से फॉसी लगा ली। वहॉ के पुलिस पदाधिकारी आये और बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। इसी आशय का वह अररिया थाना में आवेदन दिया एवं उस पर अपना छाप दिया है। पुलिस में बयान हुआ था। अभियुक्तगण को पहचानते है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कहा है कि उसकी बेटी ससुराल में ठीक से रह रही थी। कोई दान–दहेज की मॉग नही था और उसकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके चलते वह दिमागी तौर पर परेशान रहती थी और वह फॉसी लगा ली।

अभियोजन साक्षी संख्या–5 दाउद है, जो सूचक के भाई है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि नुसरत उसकी भतीजी थी, इसकी शादी फैजान के साथ घटना के 8 वर्ष पहले हुई और वह शादी के उपरांत अपने ससुराल में रह रही थी। घटना के समय साक्षी अपने घर पर था और उसे सूचना मिली की 4–5 बजे शाम में उसकी भतीजी मर गई। खबर पाके वह भतीजी के ससुराल गये और पता किये कि उसकी भतीजी कैसे मरी तो पता चला कि अपने फॉसी लगा ली। पुलिस में बयान हुआ था। अभियुक्तगण को पहचानते है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कहा है कि उसकी भतीजी ससुराल में ठीक से रह रही थी। कोई दान–दहेज की मॉग नहीं था। उसकी भतीजी को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके चलते वह दिमागी तौर पर परेशान रहती थी और वह फॉसी लगा ली।

अभियोजन साक्षी संख्या–6 बिनोद कुमार सिंह है, जो अनुसंधानकर्ता है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 14.09.2024 को वह आर0एस0 थाना में पदस्थापित था तथा इस केस का अनुसंधान का भार ग्रहण किया और उसके पश्चात सर्वप्रथम प्राथमिकी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उसे कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 15.09.2024 को रात्री में अभियुक्त फेजान एवं अन्य की गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया। तीनों अभियुक्त घर से फरार पाए। थाना पर वादी रजाबुल, साक्षी बीबी रौशनी एवं दाउद का बयान लिया। घटना का निरीक्षण किया। दिनांक 21.09.2024 को पुनः छापामारी किया। प्राथमिकी अभियुक्त फैजान दिनांक 19.09.2024 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसे कांड दैनिकी में अंकित किया। पैरा–2 में मृतिका नूसरत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। अभियुक्त फेजान के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 23/2025 दिनांक 31.01.2025 समर्पित किया तथा अन्य दो अभियुक्तों मसूद और नूरेसा खातुन के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा। आरोप–पत्र साक्षी के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श– पी0–1/पी0डब्लू0–6 अंकित किया गया है। पैरा–3 में अनुसंधान के क्रम में दो स्वतंत्र साक्षी शमा प्रवीण और बीबी रजीला का बयान लिया। अभियुक्त मसूद एवं नूरेसा खातुन न्यायालय में दिनांक 08.05.2025 को आत्मसमर्पण किया, जिसे कांड दैनिकी में अंकित किया। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध पूरक आरोप–पत्र संख्या 171/2025

दिनांक 10.07.2025 समर्पित किया। पूरक आरोप–पत्र साक्षी के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श– पी0–2/पी0डब्लू0–6 अंकित किया गया है। पैरा–4 में लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन राकेश कुमार एसएचओ के द्वारा दर्ज किया गया है, जिसे प्रदर्श– पी0–3/पी0डब्लू0–6 अंकित किया गया है। पैरा–5 औपचारिक प्राथमिकी राकेश कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श– पी0–4/पी0डब्लू0–6 अंकित किया गया है। पैरा–6 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पु.अ.नि. त्रिपुरारी कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है तथा दो गवाह दाउद और जाकीर का भी हस्ताक्षर है, जिसे प्रदर्श– पी0–5/पी0डब्लू0–6 अंकित किया गया है। पैरा– 7 अभियुक्तगण की पहचान किये है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस कांड का अनुसंधान का भार ग्रहण किया था। प्राथमिकी दिनांक 14.09.2024 को 23:15 बजे दर्ज किया गया था, वह समय कांड दैनिकी के कंडिका 01 में लिखा है। अनुसंधान का भार ग्रहण करने का समय नहीं लिखा है। दिनांक 15.09.2024 के रात्री के करीब 02 बजे से अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया। पैरा–9 में गवाहों का बयान लेने का समय कांड दैनिकी के हासिए में अंकित नहीं है। रघुनाथपुर पहुंचने का समय अंकित नहीं है। रघुनाथपुर से प्रस्थान करने का समय अंकित नहीं है। रजाबुल, रौशनी और दाउद का बयान लेने का समय अंकित नहीं किया हूँ। कंडिका 14 से 16 के हासिए में समय का उल्लेख नहीं है। घटनास्थल का निरीक्षण करने का समय नही लिखा हूँ। पैरा–10 घटनास्थल के उत्तर में आलम का मकान और आरिफ का कर्कट का घर है। घटनास्थल का फोटो पेस्ट नहीं किया है। बरामदा की छवि भी पेस्ट नही किया हूँ। घटनास्थल के चौहद्दीदारों का बयान दर्ज नही किया हूँ। पैरा–11 अनुसंधान के क्रम में सूचक के द्वारा दहेज के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवाह की तिथि का सत्यापन मैंने नहीं किया।

अभियोजन साक्षी संख्या–7 डॉ0 अली हसन है, जो चिकित्सा पदाधिकारी है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 14.09.2024 को सदर अस्पताल, अररिया में पदस्थापित था। डॉ0 मिथलेश कुमार के द्वारा नुसरत का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें साक्षी अब्जरर्वर के रूप में था। अब्जरर्वर के रूप में साक्षी का हस्ताक्षर है तथा डॉ0 मिथलेश कुमार का हस्ताक्षर है, वे अपना एवं डॉ0 मिथलेश कुमार के हस्ताक्षर का पहचान किये, जिसे प्रदर्श क्रमशः P-6/PW-7, P-7/PW-7 अंकित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में कहा है कि पोस्टमार्टम रिर्पोट में नुसरत की मृत्यु का कारण Ahphysia as a result of hanging लिखा गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–8 डॉ0 मिथलेश कुमार है, जो चिकित्सा पदाधिकारी है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 14.09.2024 को सदर अस्पताल, अररिया में पदस्थापित था। उक्त तिथि को उनके समक्ष नुसरत की लाश को चौकीदार 6/1 तनवीर आलम और चौकीदार 6/6 साथी देवी के द्वारा समय 11:00 बजे सुबह में पोस्टमार्टम के लिये लाया गया था। पैरा–2 उनके द्वारा उक्त शव का पोस्टमार्टम सुबह 11:15 बजे किया गया था, जिसमें उनके साथ ऑब्जर्वर डॉ0 अली हसन भी मौजूद थे। उक्त पोस्टमार्टम निम्नलिखत हैः–
External- i. Pressure abrasion approx 1.5cm wide, blackish brown in appearance over upper anterior neck from right mastoid region to left posterior neck (up to nape of neck). Contusion over left anterior chest approx 4cm X 3cm. Abrasion over left leg 5 cm X ½ cm. On dissection- On opening the neck and thorax trachea found congested, larynx found congested, lungs found congested. On opening the abdominal and cranial cavity- no abnormality detected. Uterus- Non gravid. Time elapsed since death and P.M. held is within 24 hours. Opinion- Death in our opoinion is due to asphyxia as a result of hanging. पैरा–3 उनके साथ ऑब्जर्वर के रूप में डॉ0 अली हसन थे। पैरा–4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी के लिखावट व हस्ताक्षर में है जिसपर डॉ0 अली हसन का भी ऑब्जर्वर के रूप में हस्ताक्षर है। उक्त अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन पूर्व से प्रदर्श अंकित है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में कहा है कि Contusions and abrasions can occur during transportation by a vehicle. पैरा–6 After the postmortem examination, the cause of death was determined to be asphyxia resulting from hanging.

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर अभियोजन का साक्ष्य बन्द किया गया।

8. बचाव पक्ष की ओर से न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया अन्ततः बचाव पक्ष के अनुरोध पर बचाव साक्ष्य बन्द किया गया।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्क को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तों को गलत एवं झूठा सूचक द्वारा मुकदमा में फंसाया गया है। अभियुक्तों ने कभी भी इस मामले में अपने बंध पत्र का दुरूपयोग नहीं किया है। उन्हें गॉव की गंदी राजनीति से दुष्प्रेरित होकर जानबूझकर इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से कुल 8 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है इनमें से किसी ने भी मामले का समर्थन नहीं किया है तथा किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा दहेज लेने एवं देने तथा मारपीट की बात नहीं बतायी है। अभियोजन ने अपने मामले को साबित वो प्रमाणित नहीं किया है और न ही अभिलेख पर अभियोजन की ओर से कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे घटना साबित वो प्रमाणित होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में लगाये गये आरोप से दोषमुक्त करने की कृपा की जाए।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के तर्को का खंडन करते हुए कहा है कि अभियोजन की ओर से कुल 08 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें सूचक, स्वतंत्र साक्षी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता भी शामिल है। जिन्होंने मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। अभिलेख पर अभियुक्तों के विरूद्ध दोषसिद्धि का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

11. उभय पक्षो के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। मामले में अभियोजन द्वारा 08 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन संख्या– 1 बीबी रौशनी, जो मृतिका की माँ है ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है मेरी बेटी कैसे मरी मुझे पता नहीं चला। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में कहा गया कि उसकी बेटी अपने ससुराल में ठीक से रहती थी। बेटी के ससुराल वाले कभी दान दहेज की मांग नहीं किये थे, उसकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे वह परेशान रहती थी एवं उसी टेंशन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कही भी अभियुक्त या उसके परिवार वालों द्वारा दहेज की मांग एवं इसकी बेटी के साथ प्रताड़ना की बात नहीं बतायी। अभियोजन साक्षी संख्या– 2 बीबी रजिला है, जिन्होने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा– 4 एवं 5 में कही है कि नुसरत अपने ससुराल में ठीक से रहती थी, उसके पति, सास व ससुर उसे ठीक से रखते थे। नुसरत को संतान नही हो रहा था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी। ससुराल वाले इलाज भी करवाए। जानकारी मिली कि नुसरत फांसी लगाकर मर गई। नुसरत के ससुराल वाले कभी दान–दहेज की मांग नहीं किए और न ही प्रताड़ित किए। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तों के द्वारा कभी भी पीड़िता या उसके परिवार से दहेज की मांग नहीं की गयी है और न ही उसे प्रताड़ित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 3 शमा प्रवीण है, जिन्होने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा– 4 एवं 5 में कही है कि नुसरत अपने ससुराल में ठीक से रहती थी, उसके पति, सास व ससुर उसे ठीक से रखते थे। नुसरत को संतान नही हो रहा था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी। ससुराल वाले इलाज भी करवाए। जानकारी मिली कि नुसरत फांसी लगाकर मर गई। नुसरत के ससुराल वाले कभी दान–दहेज की मांग नहीं किए और न ही प्रताड़ित किए। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तों के द्वारा कभी भी पीड़िता या उसके परिवार से दहेज की मांग नहीं की गयी है और न ही उसे प्रताड़ित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 4, रजाबुल जो कि मामले के सूचक है ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कहा है कि उसकी बेटी ससुराल में ठीक से रह रही थी। कोई दान–दहेज की मॉग नही था और उसकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके चलते वह दिमागी तौर पर परेशान रहती थी और वह फॉसी लगा ली। इस साक्षी के साक्ष्य एवं प्राथमिकी में किये गये कथन दोनों में काफी विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी संख्या–5, दाउद है, जिन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कहा है कि उसकी भतीजी ससुराल में ठीक से रह रही थी। कोई दान–दहेज की मॉग नहीं था। उसकी भतीजी को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके चलते वह दिमागी तौर पर परेशान रहती थी और वह फॉसी लगा ली। इस साक्षी का साक्ष्य भी प्राथमिकी का समर्थन नहीं करता है। अभियोजन साक्षी संख्या–6 बिनोद कुमार सिंह है, जो अनुसंधानकर्ता है, जिन्होने आरोप–पत्र को प्रदर्श– 1, पूरक आरोप–पत्र को प्रदर्श– 2, प्राथमिकी के लिखित आवेदन के पृष्ठांकन को प्रदर्श– 3, औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श–4 एवं मृत्य समीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श–5 अंकित कराया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा– 10 में कहें है कि घटनास्थल के उत्तर में आलम का मकान और आरिफ का कर्कट का घर है। घटनास्थल का फोटो पेस्ट नहीं किया है। बरामदा की छवि भी पेस्ट नही किया हूँ। घटनास्थल के चौहद्दीदारों का बयान दर्ज नही किया हूँ। पैरा–11 में कहें है कि सूचक

के द्वारा दहेज के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवाह की तिथि का सत्यापन मैंने नहीं किया। इस साक्षी के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि इनका अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है। अभियोजन साक्षी संख्या– 7 डॉ0 अली हसन है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ऑब्जर्वर की हैसियत से हस्ताक्षर किया है, जो प्रदर्श– 6 है एवं डॉक्टर मिथलेश कुमार के हस्ताक्षर का पहचान किया है, जो प्रदर्श– 7 है। इस साक्षी के द्वारा पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। ये केवल ऑब्जर्वर की हैसियत से अपना हस्ताक्षर किये। अभियोजन साक्षी संख्या– 8 डॉ0 मिथिलेश कुमार है, जिन्होने मृतिका नुसरत का पोस्टमार्टम किया। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में कहा है कि Contusions and abrasions can occur during transportation by a vehicle. पैरा–6 After the postmortem examination, the cause of death was determined to be asphyxia resulting from hanging. साक्षी ने मृत्यु का कारण due to asphyxia as a result of hanging बताया है। उक्त मामले के सभी साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आती है कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्तों द्वारा सूचक एवं उसके परिवार वाले से न तो दहेज की मांग की है और न ही प्रताड़ना देते हुए सूचक की पुत्री नुसरत का हत्या कारित किया है। सभी साक्षियों के साक्ष्य में एक बात समान है कि मृतिका को शादी के पश्चात बच्चा नहीं होने से मानसिक तौर पर बीमार एवं परेशान थी। किसी भी साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन उक्त मामले के अभियुक्तों के विरूद्ध संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है।

12. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्य एवं विवेचना के आलोक में पाता हूँ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी संदेहो से परे साबित वो प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथन एवं लिखित प्रतिवेदन में उल्लिखित घटना के प्रति काफी विरोधाभास है जो इस आपराधिक वाद के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0 को प्रमाणित करने में पूर्णतया विफल रहा है। परिणामतः–

आदेश

13. अभियुक्तगण 1–फैयाज उर्फ फैजान उर्फ फैयान, 2–मसुद उर्फ मसुद आलम एवं 3–नुरेशा खातुन उर्फ नुरशा को उसके उपर लगे आरोप अंतर्गत धारा– 80/3(5), 103/3(5) बी0एन0एस0 के तहत दोषसिद्ध धारित नहीं किया जाता है तथा उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण को जमानत के दायित्वों से तथा उसके प्रतिभूओं के बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–481 के पालन में बंधपत्र नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें आदेशित किया जाता है कि तीस दिन के अंदर बी0एन0एस0एस0 की धारा–481 के अनुपालन में 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करेंगे। कार्यालय लिपिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
मेरे निर्देश पर टंकित एवं शुद्धिकृत

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।
02.07.2026

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।
02.07.2026